

दावा

103/2015

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इ  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

02/03/20  
पञ्जावली आण पेश हुई। वहील वादी को  
तककी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के  
बावजूद तकवाना पेश नहीं किये हैं। अतः  
पञ्जावली तककी के अभाव में 9(5) में  
खारिज की गयी है। पञ्जावली केसक  
शुमार सेकट - 1200 ले कम ले। बाड  
02/03/20 कार्यवाही खारिज दफ्तार ले।

श्रीमानजी,

उपरोक्त उक्त (श्रीकावली गीगा)  
उपखण्ड अधिकारी  
फतेहपुर, जालंधर

पेश होने जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं किया जा सका है। तथा उन्हें जवाब देही का अवसर नहीं मिलने की स्थिति में प्रतिवादीगण के गम्भीर हित निहित है। अतः प्रतिवादीगण को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

इसलिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

